

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) - अनधिकृत लेनदेन/धोखाधड़ी

1. अनधिकृत लेनदेन क्या है?

अनधिकृत लेनदेन से तात्पर्य किसी ऐसे लेनदेन से है जिसे खाताधारक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। इस प्रकार का लेनदेन तब होता है जब कोई व्यक्ति खाताधारक की गोपनीय जानकारी तक पहुंच प्राप्त करता है और इसका उपयोग बिना अनुमति के लेनदेन करने के लिए करता है। उनमें से कुछ चोरी हुए कार्ड विवरण, नेट-बैंकिंग पासवर्ड से छेड़छाड़, या धोखाधड़ी वाले यूपीआई लेनदेन आदि हैं।

2. मैं किसी अनधिकृत लेनदेन या धोखाधड़ी की रिपोर्ट कैसे करूँ?

हमारे 24x7 टोल-फ्री नंबर 1800-202-5333 पर तुरंत हमसे संपर्क करें या customercare@shivalikbank.com पर हमें लिखें।

आप पहचान और लेनदेन विवरण के साथ निकटतम बैंक शाखा में भी जा सकते हैं या हमारे ऑनलाइन फॉर्म [Contact Us | Shivalik Bank](#) के माध्यम से भी रिपोर्ट कर सकते हैं।

3. अनधिकृत लेनदेन देखने पर अपना डेबिट कार्ड कैसे ब्लॉक करें?

अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने और इसे आगे के अनधिकृत लेनदेन से बचाने के लिए, आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं या हमारे ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

4. धोखाधड़ी के अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करते समय मुझे किस जानकारी की आवश्यकता होगी?

आपका खाता या डेबिट कार्ड नंबर.

दिनांक, राशि और व्यापारी (यदि उपलब्ध हो) सहित अनधिकृत लेनदेन का विवरण।

कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज़, जैसे बैंक विवरण या ईमेल।

5. यदि मुझे किसी व्यक्ति से यह कहते हुए कॉल आती है कि वह बैंक से है और पिन/ओटीपी/पासवर्ड आदि मांगता है तो क्या होगा?

बैंक कर्मचारी कभी भी आपका पासवर्ड/पिन/ओटीपी/सीवीवी/कार्ड नंबर नहीं मांगेगा। अपनी जानकारी साझा करने से आपके खाते से पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं।

कृपया सुनिश्चित करें कि आप किसी भी अनधिकृत लेनदेन की तुरंत रिपोर्ट करें। बैंक को सूचित करने में जितना अधिक समय लगेगा, आपको और बैंक को नुकसान होने का जोखिम उतना ही अधिक होगा।

कृपया सुनिश्चित करें कि आप साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर- 1930 या वेबसाइट <https://www.cybercrime.gov.in/> पर करें।
